कार्यालय रक्षालेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) करियप्पा मार्ग लखनऊ छावनी -226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (CC)
Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002

सं. प्रशा /1025/हि.क/ति.प्र.रि.समीक्षा/12/2016 दिनांक 9 /01/2017

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
2. सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय : रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा विभाग के कार्यालयों का राजभाषा विषयक निरीक्षण रिपोर्ट के निर्देशों का अनुपालन तथा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ कार्यालय की दिनांक 29.12.2016 को संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई ।

....

रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा संगठन के कार्यालयों का राजभाषा विषयक निरीक्षण उपरांत दिए गए रिपोर्ट के निर्देशों तथा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ कार्यालय की दिनांक 29.12.2016 को संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालनार्थ निम्नलिखित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं-

(i) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट अब तिमाही के साथ-साथ मासिक भी प्रस्तुत की जाए जिस पर साप्ताहिक बैठकों में (प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को) चर्चा की जाएगी । उक्त मासिक रिपोर्ट मुख्य कार्यालय के हिन्दी कक्ष को निम्नवत प्रेषित की जाए –

समाप्त माह	रिपोर्ट की प्रेषण तिथि
31/12/20...	04 /01/20...
30/01/20...	04/02/20...

(ii) सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं मुख्य कार्यलय के अनुभागों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास जारी रखा जाए तथा ' क' क्षेत्र से होने वाले हिन्दी पत्राचार को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 95 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जाए ।

(iii) कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करते हुए कार्यालय को न.रा.का.स. द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार के पात्र बनाने का प्रयास किया जाए ।

(iv) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजात यथा सामान्य आदेश, प्रशासनिक रिपोर्ट ,संविदा, करार ,टेंडर नोटिस आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं ।

(v) जो पत्र सूचनार्थ हों या जिन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं हो, या तो उनकी पावती हिंदी मे भेजे या उन्हे पत्र के रूप में शामिल ही न करे ।

(vi) राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in से राजभाषा अधिनियम/नियम की पुस्तक, जो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन' के नाम से उपलब्ध है , को डाउनलोड कर लिया जाए ।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से हिंदी कक्ष (स्थानीय) को भी सूचित करें ।

09/01/17

व. लेखाधिकारी
(हिंदी)